(ए0 एफ0 आर)

(न्यायकक्ष संख्या 69)

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र संख्या **20015** वर्ष **2021**

जावेद उर्फ जाबिद अंसारी ———— आवेदक

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश ———— विपक्षी

माननीय शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति

यह दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक जावेद उर्फ जाबिद अंसारी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 513 वर्ष 2020, अन्तर्गत धारा 366, 368, 120बी., भा0 दं0 सं0 तथा धारा 5 (1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्व धर्म सपरिर्वतन अधिनियम, 2020, थाना जलेसर, जिला एटा में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री इमरान उल्ला खाँ तथा राज्य की ओर से श्री शिव कुमार पाल विद्वान शासकीय अधिवक्ता एवं श्री विभव आनन्द सिंह, विद्वान शासकीय अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी प्रवीन कुमार पचोरी की पुत्री कुमारी आयुषी उम्र करीब 21 वर्ष जो जन्म से ही हिन्दू है। दिनांक 17–11–2020 को सुबह 6 बजे एटा बाजार करने जलेसर गयी थी, फिर वापस घर नहीं आयी, काफी तलाशने पर न मिलने पर गुमशुदगी की सूचना दी गयी जो कोतवाली सिटी एटा पर दिनांक 25–11–2020 को दर्ज हुई। वादी को ज्ञात हुआ कि मोहल्ला छतता जलेसर निवासी मो0 जावेद पुत्र रहीम उल्लाह, नाजिर पुत्र रहीम उल्लाह, निशानाज पत्नी मोहम्मद नाजिर, रोशन जहाँ पुत्र रहीम उल्लाह, साजिद पुत्र रहीम उल्लाह, रिजवाना पत्नी मो0 साजिद दिनांक 17–11–2020

को दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ करीब सुबह 7 बजे उसकी पुत्री आयुषी को जलेसर से करीब 7 बजे बहला फुसलाकर धोखा देकर धर्म परिर्वतन करने व धर्म परिवर्तित कर जबारिया शादी के उद्वदेश्य से अपहरण कर ले गये हैं जिन्हें ले जाते हुए सुनील मोहन, ओम प्रकाश सिंह ने देखा। वादी को ज्ञात हुआ है कि अपहरण कर ले जाकर बिना जिलाधिकारी को सूचित किये विधि विरूद्व तरीके से पुत्री आयुषी का मनोवैज्ञानिक दबाव से कपटपूर्ण ढंग से विवाह हेतु उसका हिन्दू धर्म से मुस्लिम धर्म में दिनांक 18–11–2020 को धर्म परिवर्तन कर दिया गया है तथा जानकारी हुई है कि अवैधानिक रूप से धर्म परिवर्तित कराकर उसको मो0 जाविद पुत्र रहीम उल्लाह पत्नी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है व शारीरिक शोषण किया जा रहा है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री इमरान उल्ला खाँ द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है उसे इस प्रकरण में झूंठा फसाया गया है। पीडिता ने अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है और मुस्लिम धर्म स्वीकार किया है तथा आवेदक के साथ मुस्लिम रीति के अनुसार विवाह किया है और अपना नाम आयुषी के स्थान पर आयशा रख लिया है। अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र एवं निकाहनामा इस जमानत आवेदन पत्र के साथ अनुसंलग्नक 9 के रूप में संलग्न किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि घटना दिनांक 17–11–2020 की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17–12–2020 को थाने पर दर्ज करायी गयी है। पीडिता की बरामदगी दिनांक 22–12–2020 की है और उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 22–12–2020 को दर्ज किया गया है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि वह आवेदक/अभियुक्त के साथ स्वेच्छा से गयी थी और धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म स्वीकार करके आवेदक/अभियुक्त के साथ निकाह किया है। यह भी तर्क रखा गया कि धर्म परिवर्तन दिनांक 18–11–2020 को हुआ है

और उत्तर प्रदेश विधि विरूद्व धर्म परिवर्तन अधिनियम का प्रभाव दिनांक 20–11–20.20 को हुआ है इसलिए उस पर उक्त अधिनियम प्रभावी नहीं है। ऐसी दशा में आवेदक का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार होने योग्य है।

इसके विपरीत राज्य उत्तर प्रदेश की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विभव आनन्द सिंह द्वारा जमानत आवेदन पत्र का पुरजोर विरोध किया गया एवं तर्क रखा गया कि आवेदक पहले से शादीशुदा है और उसने पीडिता को अपहरण करके तथा नशीला पदार्थ खिलाकर नशे की हालत में सादे कागज पर हस्ताक्षर बना लिया और जब उसे होश आया तो पुलिस को फोन करके पुलिस को बुलाया और मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं0 प्र0 सं0 का बयान आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व दिया। यह भी तर्क रखा गया कि घटना के चश्मदीद गवाह सुनीत चौहान और उत्साह भारद्वाज ने कहा है कि उन्होनें पीडिता को अभियुक्त के साथ दिनांक 17–11–2020 को देखा था। वादी प्रवीन कुमार ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द्र0 प्र0 सं0 में यह कहा है कि अभियुक्त मो0 जावेदन के साले महफूज व फेजान ने पीडिता को अपने यहां छिपाये हुए थे। स्पष्ट है कि अभियुक्त पहले से शादीशुदा है और पीडिता का विधि विरूद्व धर्म परिवर्तन कराके गलत तरीके से निकाह किया है। यह भी तर्क रखा गया कि धर्म परिवर्तन के पूर्व जिलाधिकारी की अनुमति नहीं ली गयी और न ही कोई नोटिस ही जारी की गयी है। निकाहनामा केवल हिन्दू लडकी का मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने के लिए ही किया गया है जब कि आवेदक पहले से ही शादीशुदा है। यह भी तर्क रखा गया कि धारा 164 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत पीडिता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष आने पर धारा 161 दं0 प्र0 सं0 के बयान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। धारा 164 दं0 प्र0 सं0 के बयान में पीडिता ने स्पष्ट कहा कि दिनांक 17–11–2020 को वह शाम 5–00 बजे मार्केट जा रही थी की अचानक दो या तीन आदमी आये और उसे गाडी में डालकर ले गये, मुंह बंद करके

पकड लिया वह बेहोश हो गयी। अगले दिन वह दिल्ली के करकरडूमा कोर्ट में थी जहां सारे वकील थे और कोई नहीं था उन्होनें कुछ पेपर पर उससे हस्ताक्षर कराये वे ऊर्दू में थे और फिर पता नहीं कहां ले गये उसे होश नहीं रहता था और जब उसे होश आया तो उसने फोन करके पुलिस को बुलाया। यह भी तर्क रखा गया कि आवेदक के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि धर्म परिवर्तन अधिनियम पीडिता के धर्म परिवर्तन के दिन के बाद प्रभावी हुआ है। पीडिता का धर्म परिवर्तन दिनांक 18–11–2020 को हुआ और निकाहनामा दिनांक 28–11–2020 को हुआ है और ये सभी परिस्थितियां यह दर्शाती है कि निकाहनामा केवल धर्म परिवर्तन के लिए ही हुआ है वह भी पीडिता के इच्छा के विरूद्व जैसा कि पीडिता ने अपने अन्तर्गत धारा 164 दं0 प्र0 सं0 के बयान में कहा है। इस आधार पर आवेदक/अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी नहीं है और जमानत आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है। ऐसा न होने पर समाज के उन धर्म के ठेकेदारों को बल मिलेगा जो गलत रूप से गरीब और महिलाओं को डर, प्रलोभन व लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आये दिन ऐसे तमाम प्रकरण टी0 वी0 और समाचारपत्रों में देखने और पढने को मिलते है जो गरीब, असहाय, गूंगे, बहरे महिलाओं आदि लोगों को लालच देकर ब्रेन वाश करके अपना उल्लू सीघा करते हैं। सबसे दुखद है कि ऐसे लोगों का प्रोत्साहन और फंडिंग विदेशों से किया जाता है, केवल देश को कमजोर करने के लिए।

मैनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना और प्रपत्रों को ध्यानपूर्वक देखा तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि धर्म परिवर्तन और विवाह करने के लिए देश का हर व्यस्क नागरिक स्वतन्त्र है और विधि के अनुसार अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है और किसी भी व्यस्क नागरिक से विवाह कर सकता है। कानून में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। व्यक्ति चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई

भी किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है। किसी भी धर्म की लडकी, लडके से विवाह कर सकती है, कोई भी पाबंदी कानून में नही है। सभी को स्वतन्त्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में प्रदत्त हैं। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि डर, भय, व लालच से लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते बल्कि उपेक्षा और अपमान के कारण स्वतः धर्म परिवर्तन करते हैं कि उन्हें दूसरे धर्मों मे सम्मान और इज्जत मिलेगी। इसमे कोई हर्ज नहीं है और भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। जब अपने घर में व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, उपेक्षा मिलती है तो वह घर छोड देते हैं। इसी प्रकार अगर किसी धर्म में रहते हुए उसे वहां सम्मान नही मिलता है तो उसे पूरा अधिकार है कि वह धर्म परिवर्तन कर ले या फिर वे धर्म के ठेकेदार जो लोगों का जातीय कारणों से अपमान करते है वे अपने अन्दर सुधार ले आये अन्यथा किसी भी देश का बहुल्य नागरिक जब अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करता है तो देश कमजोर होता है और इसका लाभ देश के विघटनकारी शक्तियों को प्राप्त होता है। जैसा कि पूर्व का इतिहास यह बताता है कि जब हम बंटे तभी देश पर आक्रमण हुए और हम गुलाम बने। भारतीय संविधान निर्माता डा0 भीम राव अम्बेडकर इसके अच्छे उदाहरण है जिन्होनें अपने प्रारम्भिक जीवन में काफी अपमान सहा, इसी कारण उन्होने धर्म परिवर्तन किया।

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 25 (1)** में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गारंटीकृत मौलिक अधिकार है किन्तु उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि लालच या भय से किसी का धर्मान्तरण किया जाए।

अनुच्छेद 25 (1) इस प्रकार हैः

25 (1) सार्वजानिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ और इस भाग के अन्य प्राविधानों के अधीन सभी व्यक्ति समान रूप से अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता और धर्म को मानने अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार के समान हकदार है।

रेव स्टैनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में **1977 ए0 आई0 आर0 908** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि **अनुच्छेद 25 (1)** में प्रचार शब्द का प्रयोग किया गया है जिसके लिए अन्य व्यक्तियों को अपने धर्म परिवर्तन का अधिकार है किन्तु सार्वजानिक व्यवस्था के हित में उनके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह याद रखना होगा कि **अनुच्छेद 25 (1)** प्रत्येक नागरिक को अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता की गारंटी देता है न कि केवल एक विशेष धर्म के अनुयायियों के लिए और यह दर्शाता है कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में जबरन परिवर्तन करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के सिद्वान्त को प्रसारित करने या फैलाने के प्रयास से अलग, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान है, कार्य करेगा इससे गारंटीकृत विवेक की स्वतन्त्रता को प्रभावित करेगा।

रामजी लाल मोदी बनाम यूनानी राधा के निर्णय के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि **संविधान के अनुच्छेद 25 और 26** द्वारा गारंटीकृत स्वतन्त्रता धर्म के अधिकार को स्पष्ट रूप से सार्वजानिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ के अधीन बनाया गया है और यह भविष्यवाणी नहीं की धर्म की स्वतन्त्रता का सार्वजानिक व्यवस्था के रख रखाव पर कोई असर नहीं पड सकता है या धर्म संबंधी अपराध पैदा करने वाला कानून किसी भी परिस्थिति मे जनता के हित में अधिनियमित नहीं कहा जा सकता है उक्त दोनो अनुच्छेदों में इस बात पर विचार किया गया है कि सार्वजानिक व्यवस्था के हित में उनके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

अनूप घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है उक्त प्रकार का कृत्य केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता यह सार्वजानिक

व्यवस्था में गडबडी के समान होगा। उदाहरण के लिए किसी को जबरन उसके धर्म में परिवर्तित किया जाता है तो यह सभी संवभावनाओं में सार्वजानिक व्यवस्था के उल्लघंन की आशंका को जन्म देगी। धर्म आस्था का विषय है यह एक कर्तव्य निष्ठा, मार्मत और धर्म पराणयता की वस्तु है इसे किसी विशेष पूजा पद्वति से नहीं बांधा जा सकता। जिसका अच्छा उदाहरण सम्राट अकबर और उनकी पत्नी जोधाबाई से लिया जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि धर्म एक जीवन शैली है। आस्था और मार्मत, विश्वास को बाधा नहीं जा सकता है। भारत देश विभिन्न सम्प्रदायों के मानने वाला देश है। यहां धार्मिक कट्रता का कोई स्थान नहीं है और लालच, डर व भय का कोई स्थान नहीं है। यदि कोई ऐसा करके धर्म परिवर्तन करता है तो किसी भी धर्म में वह ग्राहय नहीं है और इसीलिए भारतीय संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। प्रत्येक पर्सनल ला के तहत विवाह एक पवित्र संस्था है और हिन्दू कानून के तहत विवाह एक पवित्र संस्कार है। लिली थामस के मामले में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 7, 8 और 40** में कहा है कि इस्लाम में विश्वास किसी वास्ताविक परिवर्तन के बिना और केवल शादी के लिए एक गैर मुस्लिम का धर्म परिवर्तन शून्य है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी श्रीमती नूरजहां बेगम उर्फ अंजली बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में अवधारित किया किया है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं है।

वर्तमान वाद मे भी पीडिता का तथाकथित धर्मान्तरण दिनांक 18–11–2020 को हुआ है। निकाहनामा दिनांक 28–11–2020 को हुआ है। स्पष्ट है कि धर्मान्तरण विवाह के लिए किया गया है और वह भी पीडिता के इच्छा के विरूद्व।

प्रस्तुत मामले में पीडता ने कहा है कि आवेदक/अभियुक्त ने उससे झूंठ बोला था उसका और भी लडकियों से सम्बंध था। सादे कागज पर उससे हस्ताक्षर बनवाये

गये थे और कुछ कागज ऊर्दू में थे जिसे वह पढना नहीं जानती थी। अन्य गवाहों के बयानों में आया है कि अभियुक्त पहले से शादीशुदा था और झूठ बोलकर झांसे में रखकर पहले पीडिता का विधि विरूद्व धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद ऊर्दू कागजातों पर जिसे पीडिता पढना भी नहीं जानती थी, फर्जी निकाहनामा तैयार किया और शादी कर लिया, मानसिक, शारीरिक शोषण किया। अवसर पाने पर पीडिता ने पुलिस को बुलाया और मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्तों के विरूद्व बयान दिया जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0 प्र0 सं0 को देखने से लगता है कि पीडिता इतनी डरी व सहमी हुई है और जो कुछ उसके साथ हुआ वह मारे हया और डर के बताना नहीं चाहती है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी नहीं है और उसका जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विचार से आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का कोई पर्याप्त आधार नही पाया जाता है तदनुसार आवेदक का यह जमानत आवेदन पत्र बलहीन है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

तदनुसार आवेदक **जावेद उर्फ जाबिद अंसारी** का यह जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता हैं।

दि0– 20–7–2021

अ.